न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 13 / 2023

श्री विनय शर्मा, मै0 फोर्ट फिलिंग स्टेशन, सेवर भरतपुर

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, अति.जिला कलेक्टर,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 20.03.2023

अपीलार्थी श्री विनय शर्मा, मै0 फोर्ट फिलिंग स्टेशन, सेवर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 23 / 236 दिनांक 9.3.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक राजस्व / आरटीआई / 12 / 1523 दिनांक 14–3–23 शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है आवेदक को जरिये पत्र क्रमांक राजस्व / आरटीआई / 12 / 1462 दिनांक 13–3–23 से प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है, अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब के साथ प्राप्त फोटो कॉपी पत्र क्रमांक राजस्व / आरटीआई / 12 / 1462 दिनांक 13–3–23 जिससे कि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई है के अवलोकन से निर्विवाद है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे भेजी जा चुकी है। यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निणर्य की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे है। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर